

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 31.12.18

:: आदेश ::

श्री अजय वर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अजमेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर श्री अजय वर्मा, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, अजमेर का त्याग पत्र तत्काल प्रभास से एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है।

आज्ञा से,

३०  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. संयुक्त सचिव, (ए.एस.एन.) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर।
5. महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलक्टर, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम 03 अधिकतम संभवतः 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर की अनुशंसा/परामर्श के साथ अधिवक्ताओं के मूल बायोडाटा एवं घोषणा पत्र सहित इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें, साथ ही उक्त पद पर नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर में राज्य की ओर से समुचित पैरवी करने हेतु वर्तमान में कार्यरत किसी विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को निर्देशित करने का श्रम करें।
10. कोषाधिकारी अजमेर।
11. संबंधित अभियोजक।
12. समस्त उप विधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. सहायक लेखाधिकारी, राजकीय वादकरण।
- ✓ 14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

  
31/12/18  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(34) राज/वाद/14

जयपुर, दिनांक 31.12.18

:: आदेश ::

श्री ललित साहू, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, राजसमंद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर श्री ललित साहू, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, राजसमंद का त्याग पत्र तत्काल प्रभास से एतद्वारा स्वीकार किया जाता है।

आज्ञा से,


हू

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. संयुक्त सचिव, (ए.एस.एन.) मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद।
5. महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलक्टर, राजसमंद को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम 03 अधिकतम संभवतः 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद की अनुशंषा/परामर्श के साथ अधिवक्ताओं के मूल बायोडाटा एवं घोषणा पत्र सहित इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें, साथ ही उक्त पद पर नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमंद में राज्य की ओर से समुचित पैरवी करने हेतु वर्तमान में कार्यरत किसी अपर लोक अभियोजक को निर्देशित करने का श्रम करें।
10. कोषाधिकारी राजसमंद।
11. संबंधित अभियोजक।
12. समस्त उप विधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. सहायक लेखाधिकारी, राजकीय वादकरण।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण